No. EDN-HE(21)F(10)13/2021-Road Safety

Directorate of Higher Education Himachal Pradesh, Shimla-1

Dated:

Shimla-171001

the

May, 2022

To

All the Principal/Headmaster,

Government Senior Secondary/High Schools,

in Himachal Pradesh

Subject: -

Notification regarding inclusion of chapter in syllabus on Road Safety from class  $6^{th}$  to  $10^{th}$ .

Please find enclosed herewith copy of Notification No. क:हि.शि.बो.(39)/TB/MISC./Voll-II/Part-III/8120-8220 dated 25-04-2022 received from the HP Board of School Education regarding inclusion of chapters in syllabus on Road Safety from class 6<sup>th</sup> to 10<sup>th</sup>.

In this context, it is directed to go through the contents of the ibid notification & make necessary arrangements to teach students aforementioned curriculum incorporated on Road Safety which is available on the user ID of all the school.

THIS MAY BE GIVEN PERSONAL ATTENTION AND TOP PRIORITY PLEASE.

**Encls:** As above

1 8 MAY 2022 I

22 Director of Higher Education

Himachal Pradesh

Endst.

No.

Even

Dated

Shimla-1

the

May, 2022

Copy to:-

1. The Principal Secretary (Education) to the Govt. of H.P for information please.

- 2. The Director of Transport, Himachal Pradesh, and Shimla-171004, w.r.t. letter No. TPT-LA(21)RSC(Edn)-2021-2519 dated 12-05-2022.
- 3. All the Deputy Director of Higher Education for information and necessary action accordingly.
- 4. The Technical Officer, IT Cell of this Directorate with the direction to upload the same on the Departmental Website.
- 5. Guard File.

Director of Higher Education Himachal Pradesh



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213 क0ःहि शि.बो.(39) / TB/MISC. / Vol-II/Part-III/8/20 - 8.920

दिनांक 25. 04. 202.

## अधिसचना

निदेशक (उच्चतर शिक्षा), हिगायल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या EDN-HE(21)F(10)13/ 2021-Road Safety-I दिनांक 30.03.2022 की अनुपालना में, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से कक्षा छठी से दसवीं के पाठ्यकम में 'सड़क सुरक्षा जिम्मेदारी हमारी' से सम्बंधित विषयों को त करने के संहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। जिनका ब्योश निम्न प्रकार शे है:--

क0 स0	त करन व पाठ्य पुरतक कोड	विषय	पाद्यपुस्तक का नाम	अध्याय का नाम
1	601	18-40	धसंस (भाग-1)	अध्याय 18 'बात बात में बात' को जोडा गया है।
2	701	18:40	वसंत (भाग-2)	अप्याय 21 'आखिर बेटी किराकी है' को जोसा गया है।
3	809	सागाचित्रक विज्ञान	रामाजिक एवम् राजनीतिक जीवन-III	अध्याम ११ संडक सुरक्षा एवम् जन सहमागिता को जोड़ा गया है।
4	818	Social Science	Social and Political Life	को जोड़ा गया है। अध्याध 06 "संउक दुर्घटनाएँ-कारण एवम् रोक्कद्याम के उपाय" को जोड़ा गया है।
5	ទ+8	आपना प्रबंधना	आओं गिलकर बर्ले एक सुरक्षित गारत की ओर (गाम 2)	
6.	951	Disaster Manage -ment	Together Towards A Safer India-II	आयाम of "Road Accidents: Causes and Means to Prevent them" की जोडा गया है।
house two is	1018	शिमाधिक समितिक	लोकसात्रिक राजनीति (2)	अध्याम 10 "संजाम सर्वे सुरक्षित रहें" को जोड़ा गमा है।
: B	1023	Social Science	Democratic Politics-II	अध्याम 10 ' Be Alert: Be Safe' को जीना गया है।

अतः समस्य प्रधानाचार्यो / गुरब्याध्यापको को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त पाद्यसाग्रगी को अपने संस्थान के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये उचित व्यवस्था करें। अध्ययन साम्रगी समस्त विज्ञालयों के USER ID में उपलब्ध है।

पृष्ठांकन राखाः भथोपरि। प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1 प्रचान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश शरकार, शिमला-2

2 निदेशक, (उच्चतर व प्रारम्भिक), शिक्षा निवेशालय, शिगला-1 अप्रमुद्धा छम निवेशक, (उच्चतार व प्रारम्भिक) शिक्षा, हिमाखल प्रवेश।

4 भिनि राहासक अध्यक्ष /राविक विभावत प्रयेश राजूल शिवा बोर्ड घर्मशाला।

5 अनुभाग अधिकारी पुरताक वितरण/पुरताक गुप्तण को आगाभी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

6 अनुमान अधिकारी, सामान्य शास्त्रा की इस आश्य के साथ प्रेषित है कि वेह सपरोक्त निर्णय की बोर्ड की आगामी वैठक में संपुच्टि हेतु प्रस्तुत करें।